न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज०)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–121/2019

खेतुसिंह पुत्र श्री लादूसिंह जाति राजपूत उम्र 59 वर्ष निवासी चाउ तहसील व जिला नागौर (राज०)

––––––प्रार्थी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––––––अप्रार्थी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज. काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–12/01/2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया वादी के पक्ष में वादी की कृषि भूमि वाके चक 91 जीबी तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 11 पत्थर सं. 317/422 का किला नं. 1/1 से 5/1 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, 6 ता 16 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 24/3 का 0.127 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.050 हैक्टर कृषि भूमि वादी के नाम रेवन्तसिंह पुत्र लादूसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादी को अपने मृतक पिता लादू सिंह के देहान्त उपरान्त प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी। जो निरन्तर वादी के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। जिसका वादी खातेदार कृषक है। वादी का रिकार्ड में नाम खेतुसिंह पुत्र लादूसिंह है वादी परिवार जो ग्रामीण परिवेश का है लेकिन वादी के पिता के देहान्त उपरान्त विरासतन इन्तकाल दर्ज करते सहबन से वादी का नाम खेतसिंह अंकित तदुवरान्त विरास्तन इन्तकाल के पश्चात् राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में इन्द्राज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम रेवन्तसिंह दर्ज कर दिया गया जो कि एक सदभाविक एवं मानवीय भूल है। वादी का रिकॉर्ड में नाम खेतुसिंह पुत्र लादूसिंह है। वादी के परिवार राशनकार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत चाउ द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की जिसकी प्रतियाँ संलग्न वाद पत्र हैं इन समस्त दस्तावेज में वादी नाम खेतुसिंह ही दर्ज है जो संलग्न वाद पत्र है। चूंकि वाद पत्र में दर्ज भूमि का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से वादी का नाम खेतुसिंह की बजाय खेतसिंह दर्ज कर दिया तत्पश्चात् विरासतन इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खेतसिंह से रेवन्तसिंह राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहबन से दर्ज की दिया गया जबकि वादी का रिकार्ड में व सही नाम खेतुसिंह है। वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का साक्षर काश्तकार पेशा व्यक्ति है वादी को उक्त त्रुटि का ज्ञान होने पर वादी ने दिनांक 01/11/2019 को तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम खेतसिंह/रेवन्तसिंह को दुरूस्त उसके रिकॉर्ड अनुसार नाम खेतुसिह दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होंने उक्त दुरूस्ती करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चाराजोई करने के लिए कहा। बस यही बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। इसलिए वादी की ओर से यह वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वादी का रिकार्ड में नाम खेतुसिंह पुत्र लादूसिंह है लेकिन उक्त भूमि वादी के खेतसिंह/रेवन्तसिंह के नाम से दर्ज हो गई जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादी के राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेज में नाम अलग–अलग होने के कारण वादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि रेवन्तसिंह के नाम से दर्ज है लेकिन अन्य आवश्यक भारत दस्तावेजात निर्वाचन आयोग के पहचान–पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम खेतुसिंह दर्ज है जिससे वादी भविष्य में उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैंक इत्यादि से लोन आदि लेने में वादी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भी न्यायहित में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहबन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(31)

से दर्ज हुए गलत नाम को दुरूस्त किया जाकर वादी नाम खेतुसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक है। ताकि भविष्य में वादी को दो अलग–अलग नाम दर्ज होने के कारण किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वादी अपने रिकार्ड के नाम से ही अपनी उक्त कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग कर सके। इसलिए वादी माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है। फलस्वरूप वादी को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ रहा है।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार चक 91 जीबी के वर्तमान खाता सं. 58 प. नं. 317/422 का 4.050 है. नाली दोयम रकबा रेवन्तसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत साकिन चाउ तहसील नागौर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। यह रकबा प्रार्थी के पिता लादूसिंह पुत्र फूलसिंह की मृत्यु के बाद विरासतन में रसालकंवर बेवा लादूसिंह व खेतसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार के रूप में प्राप्त हुआ था। कालान्तर में इन्तकाल सं. 47 दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी का नाम खेतसिंह से रेवन्तसिंह के नाम से दर्ज हो गया जो कि आज भी इसी नाम से खाता चल रहा है। मौके पर उक्त रकबा हिस्से/ठेके पर काश्त करवाया जा रहा है। मौके पर काश्तकार जयसिंह उपस्थित मिला उसके द्वारा भी प्रार्थी का नाम खेतूसिंह पुत्र लादूसिंह बताया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम चाउ की जमाबन्दी में नाम खेतूसिंह पुत्र लादूसिंह है बताया गया। मौके के आस पास के व्यक्ति भी प्रार्थी को खेतूसिंह के नाम से ही जानते है तथा प्रार्थी का सही नाम खेतूसिंह पुत्र लादूसिंह बताया गया व प्रार्थी के नाम रेवन्तसिंह के स्थान पर खेतूसिंह किए जाने को उचित बताया है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज आदि में भी प्रार्थी का नाम खेतूसिंह पुत्र लादूसिंह अंकित होने के कारण प्रार्थी के नाम रेवन्तसिंह के स्थान पर खेतूसिंह पुत्र लादूसिंह की दुरूस्ती किये जाने की अनुशंसा की गई। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादी का नाम रेवंतसिंह न होकर खेतुसिंह है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादी का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 91 जीबी तहसील अनूपगढ़ के मुरब्बा नं. 11 पत्थर सं. 317/422 का किला नं. 1/1 से 5/1 प्रत्येक 0.228 हैक्टर, 6 ता 16 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, 24/3 का 0.127 हैक्टर इस प्रकार कुल 4.050 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रेवंतसिंह के स्थान पर खेतुसिंह का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.02.21 11:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner